

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
72वीं बैठक का एजेण्डा



दिनांक: 07 / 09 / 2021

समय:- अपरान्ह 03:00 बजे

स्थान :- हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, सभागार

**हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 72वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.09.2021 हेतु
प्रस्तावित एजेण्डा मद**

मद	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.09.2020 तथा परिचालन के माध्यम से आहूत 71वीं बोर्ड बैठक मद संख्या (01) दिनांक 20.05.2021 तथा 71वीं बोर्ड बैठक मद संख्या (02) दिनांक 16.06.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि	01
2	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की 70 वीं, बोर्ड बैठक दिनांक 04.09.2020 एवं परिचालन के माध्यम से आहूत 71वीं बोर्ड बैठक मद संख्या (01) दिनांक 20.05.2021 एवं मद संख्या (02) दिनांक 16.06.2021 की अनुपालन आख्या	02 से 13 तक
3	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	14 से 23 तक
4	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील रूड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में कय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।	24
5	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	25 से 26
6	प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग योजना में निर्मित भवनों के विक्रय/आवंटन हेतु पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में।	27
7	प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र संशोधन उपरान्त भूखण्डों में हुई वृद्धि पर आवंटन एवं देय आरक्षण के सम्बन्ध में।	28
8	प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवास माना जाए या नहीं के सम्बन्ध में।	29
9	प्राधिकरण की श्यामलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भू-खण्ड संख्या सी0-1, सी0-2 क्षेत्रफल 3000 वर्ग मी0 के भू-उपयोग को ग्रुप हाउसिंग से ऑफिस कम रेजीडेन्स में परिवर्तित किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन विषयक।	30
10	प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्डों/ भवनो के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुरक्षण शुल्क की बसूली के सम्बन्ध में।	31 से 32
11	प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पी0पी0पी0 मोड़ पर अल्प आय वर्ग भवनों हेतु ग्राम मंगलौर परगना मंगलौर तहसील रूड़की के अन्तर्गत खसरा संख्या 2732 व 2733 का भू उपयोग कृषि से आवासीय में किये परिवर्तित किये जाने विषयक।	33
12	निरंजनी आखाडा रोड़ श्रवणनाथ नगर (लाहौर हाउस) पर मैसर्स प्रसाद हैरिटेज प्रोनोट प्रा0 लि0 डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ प्रसाद द्वारा पूर्व स्वीकृत गेस्ट हाउस को होटल में परिवर्तन सम्बन्धित शमन विषयक।	34
13	मैसर्स IHC infra Built प्रा0 लि0 डायरेक्टर श्री राजीव बंसल द्वारा पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल द्वारा पृथक-पृथक 02 व्यवसायिक मानचित्रों को स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत होटल में परिवर्तन विषयक।	35 से 36

दिनांक 07.09.2021
पञ्चासनीक अधिकारी

संयोजक अधिकारी

टी0पी0 नोटियल
सहायक अभियन्ता

माषवानन्द जोशी
अधिशाली अभियन्ता

14	खसरा नंबर 1533, ग्राम अन्नेकी-हेतमपुर, रोशनाबाद जवाहर नवोदय विद्यालय से हरनौल रिवर ब्रिज, एस.एच.-27 परगना रुड़की तहसील व जिला-हरिद्वार में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० के रिटेल आउटलेट की प्रस्तावना के सम्बन्ध में।	37
15	प्राधिकरण बोर्ड के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।	38
16	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।	

विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी

पंकज पठक
अध्यापक

टी.पी.टी. नाटिका
सहायक अभियन्ता

माखवानन्द जोशी
अधिसाली अभियन्ता


मद संख्या 72-(01)

प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.09.2020 तथा परिचालन के माध्यम से आहूत 71वीं बोर्ड बैठक मद संख्या (01) दिनांक 20.05.2021 तथा 71वीं बोर्ड बैठक मद संख्या (02) दिनांक 16.06.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि:-

प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04.09.2020 तथा परिचालन के माध्यम से 71(01)वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20.05.2021 एवं 71(02) बोर्ड बैठक दिनांक 16.06.2021 को आयोजित की गयी थी। उक्त बैठकों के कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 70 वीं तथा 71वीं बोर्ड बैठक मद संख्या 01 एवं 02 की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।




विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी



पंकज पाठक
सहायक अभियन्ता



टी.पी. चौधरी
सहायक अभियन्ता



माधवानन्द जोशी
अधिसारी अभियन्ता

मद संख्या 72 (02)

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की 70 वीं, बोर्ड बैठक दिनांक 04.09.2020 एवं परिचालन के माध्यम से आहूत 71वीं बोर्ड बैठक मद संख्या (01) दिनांक 20.05.2021 एवं मद संख्या (02) दिनांक 16.06.2021 की अनुपालन आख्या :-

मद सं०	एजेण्डा मद	निर्णय	अनुपालन
70(03)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2020-21 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	<p>हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2020-2021 का प्रस्तावित आय-व्ययक पर विस्तार से चर्चा हुई, तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देश प्राधिकरण को दिये गये :-</p> <p>1-पूँजीगत आय में इन्द्रलोक आवास योजना भाग-1 में निर्मित 96,2बी0एच0के0 भवनों के विक्रय न होने पर उक्त भवनों की कास्ट बेनीफिट एनालसिस करते हुए, इन भवनों के निर्माण से कोई वित्तीय हानि प्राधिकरण को नहीं हो तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।</p> <p>2-प्राधिकरण द्वारा भविष्य में भवनों के बजाय भूखण्डों को विकसित कर विक्रय किये जाने के निर्देश दिये गये।</p> <p>3-किसी भी योजना के लिए हुडकों से ऋण प्राप्त करने से पहले विस्तृत प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।</p> <p>4- Assets (परिसम्पत्तियों) एवं Liabilites (देनदारियों) का स्पष्ट लेखा-जोखा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।</p> <p>5-बैलेन्स शीट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।</p> <p>6-मुख्य वित्त अधिकारी को Financial Management Training (Correspondence Course) कराये जाने के निर्देश दिये गये।</p> <p>उक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के प्रस्तावित संलग्नक बजट को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है।

विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी

कुल पत्र

दीर्घा प्रियाल 2
सहायक अभियन्ता

माधवानन्द जैसि
अधिसारी अभियन्ता

70(04) हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु बजट अनुमोदन के सम्बन्ध में।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु प्रस्तावित कुल रू० 3138.00 लाख का बजट इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि कुम्भ मेला-2021 के दृष्टिगत वाले कार्य प्राथमिकता पर कराये जायें।

निर्णय के अनुपालन में अवस्थापना विकास निधि मद से स्वीकृत कार्यों जिसमें कुम्भ मेला से सम्बन्धित कार्यों को प्राथमिकता से कराया गया है।

अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये

70(04)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु बजट अनुमोदन के सम्बन्ध में।	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु प्रस्तावित कुल रू0 3138.00 लाख का बजट इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि कुम्भ मेला-2021 के दृष्टिगत वाले कार्य प्राथमिकता पर कराये जायें।	निर्णय के अनुपालन में अवस्थापना विकास निधि मद से स्वीकृत कार्यों जिसमें कुम्भ मेला से सम्बन्धित कार्यों को प्राथमिकता से कराया गया है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(05)	हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 88 पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों के सम्बन्ध में।	हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 88 पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों के लिये प्रस्तावित रू0 1071.72 लाख का बजट अवस्थापना विकास निधि से इस निर्देश के साथ अनुमोदित किया गया कि जिन पार्कों में रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन (RWA) यह लिखित में (Undertaking) दे देगी कि सौन्दर्यीकरण के पश्चात उक्त पार्क के रख-रखाव, सुरक्षा एवं अन्य सभी जिम्मेदारी उनकी होगी, उन्हीं पार्कों का सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य One Time के अन्तर्गत कराये जाये तथा उक्त पार्क के सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव पर भविष्य में कोई व्यय नहीं किया जायेगा।	निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि 88 पार्कों में कावड़ पटरी में (शंकराचार्य चौक से सिंहद्वार तक) का सौन्दर्यीकरण वर्तमान में किया जा रहा है जो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है शेष पार्कों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव महोदय द्वारा दिये गये आदेश/निर्देशों के अनुपालन में जिन कालोनी में रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन (RWA) नहीं हैं उनमें सम्बन्धित पार्षद स्थानीय लोगों कालोनियों, समितियों व संस्थाओं आदि से अन्डरटेकिंग (Undertaking) ले ली जाय। उक्त निर्देशों के अनुपालन में वर्तमान में लगभग 44 पार्कों में रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन (RWA), पार्षद स्थानीय लोगों कालोनियों, समितियों व संस्थाओं आदि से लिखित में अन्डरटेकिंग (Undertaking) प्राप्त है। जिनकी निविदा प्रथम चरण में आमंत्रण किये जाने की कार्यवाही गतिमान है तथा शेष पार्कों में रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन (RWA), पार्षद स्थानीय लोगों कालोनियों, समितियों व संस्थाओं आदि से लिखित में अन्डरटेकिंग (Undertaking) प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

विनीत कुमार राव

कमल पाठक

मायवानन्द जोशी

70(06)	आगामी महाकुम्भ मेला-2021 के दृष्टिगत हरिद्वार शहर के सौन्दर्यीकरण किये जाने विषयक।	आगामी महाकुम्भ मेला-2021 के दृष्टिगत हरिद्वार शहर के सौन्दर्यीकरण कार्या हेतु प्रस्तावित रू0 926.40 लाख का बजट अवस्थापना विकास निधि से अनुमोदित किया गया तथा कार्य तकनीकी कमेटी की संस्तुति से कराये जाने के निर्देश दिये गये।	लिये गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि कुम्भ मेला-2021 हरिद्वार की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत हरिद्वार शहर के विभिन्न 14 चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य कराया गया है। कुम्भ मेला-2021 हरिद्वार की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ही सी0सी0आर0 भवन एवं दक्ष मन्दिर परिसर, कनखल में स्थाई विद्युत सौन्दर्यीकरण सहित मेला क्षेत्र के विभिन्न पुलों घाटों आदि पर मेला अवधि के दौरान विद्युत सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया गया। पेन्ट माई सिटी योजना के अन्तर्गत मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पेन्टिंग का कार्य सम्पादित करा लिया गया। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(07)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हाईमास्ट लाईटों की आपूर्ति एवं स्थापना के संबंध में।	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हाईमास्ट लाईटों की आपूर्ति एवं स्थापना के लिए प्रस्तावित रू0 114.00 लाख का बजट अवस्थापना विकास निधि से अनुमोदित किया गया तथा कार्य तकनीकी कमेटी की संस्तुति से कराये जाने के निर्देश दिये गये।	लिये गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि कुम्भ मेला-2021 हरिद्वार की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर 29 हाईमास्ट लाईट की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य पूर्ण करा लिया गया। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(08)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हरिद्वार से जाने वाले गंगनहर (कांवड पटरी) पर चेंजिंग रूम/शौचालय निर्मित किये जाने के संबंध में।	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हरिद्वार से जाने वाले गंगनहर (कांवड पटरी) पर चेंजिंग रूम/शौचालय निर्मित किये जाने के लिये प्रस्तावित बजट रू0 60.00 लाख का बजट अवस्थापना विकास निधि से अनुमोदित किया गया तथा कार्य तकनीकी कमेटी की संस्तुति से कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये।	प्रश्नगत कार्य कुम्भ मेला 2021 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित था। परन्तु कोविड महामारी होने के कारण मेला अवधि सीमित कर दी गयी जिस कारण प्रश्नगत कार्य नहीं कराया गया। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

विनोद कुमार
प्रशासनिक अधिकारी

रुद्र प्रसाद

टी0पी0 नौटियाल
सहायक अभियन्ता

4

माधवानन्द जोशी
अधिसारी अभियन्ता

70(09)	लक्सर क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैण्ड व शिवचौक का निर्माण एवं शिवमूर्ति की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में	लक्सर क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैण्ड के लिए प्रस्तावित बजट रू 156.08 लाख अवस्थापना विकास निधि से अनुमोदित किया गया तथा इन कार्यों हेतु सम्बन्धित विभाग को सैन्टेज चार्ज का भुगतान नहीं किये जाने, कार्य तकनीकी कमेटी की संस्तुति से कराये जाने के निर्देश दिये गये। शिवचौक का निर्माण, शिवमूर्ति की स्थापना के लिए प्रस्तावित बजट रू 30.41 लाख का बजट अवस्थापना विकास निधि से अनुमोदित किया गया तथा कार्य तकनीकी कमेटी की वैल्यूशन रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये।	1-लिये गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि लक्सर में बस स्टैण्ड की स्थापना हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना के आधार पर रू0-230.36 लाख का व्ययानुमान प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत व्ययानुमान में रू0-18.35 लाख का सैन्टेज भी सम्मिलित है। बस स्टैण्ड का निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रू0-78.04 लाख का भुगतान जनवरी, 2021 में किया जा चुका है। स्थल पर निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा कराया जा रहा है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है। 2- लिये गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि कार्य हेतु रू0-30.46 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0-15.23 लाख का भुगतान कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, लक्सर को किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा स्थल पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(10)	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 116/2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मा0 कडछ से लगकर गुरुद्वारा रोड़ ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण का कार्य।	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-116 /2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मा0 कडछ से लगकर गुरुद्वारा रोड ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण कार्य के लिये प्रस्तावित बजट रू0 941.02 लाख का बजट अवस्थापना विकास निधि से अनुमोदित किया गया तथा इन कार्यों हेतु सम्बन्धित विभाग को सैन्टेज चार्ज का भुगतान नहीं किये जाने, कार्य तकनीकी कमेटी की संस्तुति से कराये जाने के निर्देश दिये गये।	लिये गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, हरिद्वार को कार्य हेतु कुल परियोजना लागत रू0-941.02 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0-343.87 लाख का भुगतान कार्यदायी संस्था को किया गया है। स्थल पर निर्माण कार्य गतिमान है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

विनोद कुमार राव
कार्यकारी अधिकारी

टी0पी0 कोटियाल 5
सहायक अभियन्ता

माधवानन्द जोशी
अधिशायी अभियन्ता

70(11)	होटल के मानचित्र को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।	होटल के मानचित्र को शमन किये जाने के सम्बन्ध में महन्त लखन गिरी, सचिव, पंचायती अखाडा, श्री निरंजनी अखाडा परिसर के प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	कार्यालय पत्र सं०-मीमो०/नो०/हरि०/253/2012-13 दिनांक 11.12.2020 के द्वारा शमन की कार्यवाही की जा चुकी है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(12)	श्रीमती राखी गर्ग पत्नी श्री अमित कुमार गर्ग आदि द्वारा ग्राम ज्वालापुर अन्दर हदूद के खसरा संख्या 2251 एवं 2249 (अन्दर नगर निगम हरिद्वार) परगना ज्वालापुर जिला हरिद्वार में प्रस्तुत मानचित्र अनुसार होटल मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	श्रीमती राखी गर्ग पत्नी श्री अमित कुमार गर्ग आदि द्वारा ग्राम ज्वालापुर अन्दर हदूद के खसरा संख्या-2251 एवं 2249 (अन्दर नगर निगम हरिद्वार) परगना ज्वालापुर जिला हरिद्वार में प्रस्तुत मानचित्र अनुसार होटल स्वीकृति प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	लिये गये निर्णय के अनुपालन में मानचित्र आदेश संख्या 5301/म०यो०/शमन/हरि०/121/2020-21 दिनांक 02.02.2021 को स्वीकृत किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(13)	श्री राजीव बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल एवं श्री सुदर्शन कुमार मित्तल पुत्र श्री मेहरबान सिंह मित्तल द्वारा ग्राम मनोहरपुर के खसरा संख्या 189 व 194 परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार पर पूर्व से स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र में संशोधन प्रस्ताव होटल मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	श्री राजीव बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल एवं श्री सुदर्शन कुमार मित्तल पुत्र श्री मेहरबान सिंह ग्राम मनोहरपुर के खसरा संख्या 189 व 194 परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार पर पूर्व से स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र में संशोधन प्रस्ताव होटल मानचित्र स्वीकृति प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	लिये गये निर्णय के अनुपालन में मानचित्र आदेश सं० 5743/मान०हरि०/आर०एस०-18/129/2014-15 दिनांक 03.03.2021 को स्वीकृत किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

विनोद कुमार राव
पञ्जाब पाठक
पञ्जाब पाठक

श्रीमती राखी गर्ग पत्नी श्री अमित कुमार गर्ग
श्री सुदर्शन कुमार मित्तल पुत्र श्री मेहरबान सिंह
माधवानन्द

70(14)	श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं श्री अरविन्द अग्रवाल के वाद संख्या नो0/बहा0/387/2019-20 में शमन प्रस्ताव दिनांक 27.11.2019 ग्राम रावली महदूद के खसरा संख्या 440/2, 441, तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड क्षेत्रफल 1662.50 वर्ग मी0 पर स्थापित आउटलेट के शमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।	श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं श्री अरविन्द अग्रवाल के वाद संख्या-नो0/बहा02387 /2019-20 में शमन प्रस्ताव दिनांक 27-11-2019 ग्राम रावली महदूद के खसरा संख्या-440 /2, 441, तहसील व जिला हरिद्वार के भूखण्ड क्षेत्रफल 1662.50 वर्ग मी0 पर स्थापित आउटलेट के शमन स्वीकृति प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, की रिपोर्ट दिनांक 15.10.2020 के क्रम में प्रकरण कार्यालय पत्रांक 234 दिनांक 06.05.2021 द्वारा सशर्त स्वीकृत कर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(15)	श्री कुंवरकांत शर्मा पुत्र श्री आनन्द प्रकाश शर्मा द्वारा ग्राम ज्वालापुर के खसरा संख्या 2262/2 एवं 2260 वाल्मीकि बस्ती ज्वालापुर परगना व तहसील ज्वालापुर, हरिद्वार में 770 वर्ग मी0 पर स्थापित रिटेल आउटलेट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	श्री कुंवरकांत शर्मा पुत्र श्री आनन्द प्रकाश शर्मा द्वारा ग्राम ज्वालापुर के खसरा संख्या-2262 /2 एवं 2260 वाल्मीकि बस्ती ज्वालापुर परगना व तहसील ज्वालापुर, हरिद्वार में 770 वर्ग मी0 पर स्थापित रिटेल आउटलेट की स्वीकृति प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	लिये गये निर्णय के अनुपालन में आदेश संख्या 5475/HRDA/R/0142/2020-21 दिनांक 12.02.2021 को स्वीकृत किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(16)	श्रीमती रीतू पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह यादव के द्वारा ग्राम सराय के खसरा संख्या 74, परगना व तहसील ज्वालापुर में एच0पी0सी0एल0 के रिटेल आउटलेट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	श्रीमती रीतू पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह यादव के द्वारा ग्राम सराय के खसरा संख्या-74, परगना व तहसील ज्वालापुर में एच0पी0सी0एल0 के रिटेल आउटलेट की स्वीकृति प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया तथा तदनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 2413 दिनांक 07.11.2020 द्वारा प्रकरण शासन को तथा कार्यालय पत्र संख्या 2267/नो0बहा0/196/2020-21 दिनांक 02.09.2021 द्वारा मुख्य प्रशासक उडा को संदर्भित किया गया। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी

पंकज पाठक
सहायक अभियन्ता

टी0पी0 नोटिसाल
सहायक अभियन्ता

माधवानन्द जोशी
सहायक अभियन्ता

70(19)	भेल गृह निर्माण समिति, बी0एच0ई0एल0, रावली महदूद ज्वालापुर हरिद्वार के स्वीकृत तलपट मानचित्र की अवधि 02 वर्ष हेतु समय वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	भेल गृह निर्माण समिति, बी0एच0ई0एल0, रावली महदूद ज्वालापुर हरिद्वार के स्वीकृत तलपट मानचित्र की अवधि 02 वर्ष हेतु समय वृद्धि प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।	लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1598/अभि0 1(क)/31/2007-08 दिनांक 29.07.2021 द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किया जा चुका है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(20)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत टिहरी विस्थापित क्षेत्र को नियमित किये जाने विषयक।	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत टिहरी विस्थापित क्षेत्र को नियमित किये जाने विषयक प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से शासन को सन्दर्भित करने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020, आवास अनुभाग-2 दिनांक 26.07.2021 द्वारा बिन्दु संख्या 3(2) में "विस्थापित क्षेत्र में मूल आवंटी/विस्थापनी से विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा, किन्तु भूखण्ड विक्रय किये जाने की स्थिति में क्रयकर्ता पर विकास शुल्क आरोपित किया जायेगा।" उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(21)	प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों के विक्रय उपरान्त अभिलेखों में क्रेता का नाम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों के विक्रय उपरान्त अभिलेखों में क्रेता का नाम दर्ज किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रकरण में कार्यालय आदेश संख्या 2368 दिनांक 04.11.2020 द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(22)	भवनों/भूखण्डों की कीमत पर पुनर्मूल्यांकन हेतु लगायी जाने वाली ब्याज दर के सम्बन्ध में	भवनों/भूखण्डों की कीमत पर पुनर्मूल्यांकन हेतु लगायी जाने वाली ब्याज दर के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा कास्ट बेनीफिट एनालसिस करते हुए सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।	लिये गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा रिक्त सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कास्ट बेनीफिट एनालसिस हेतु प्रकिया गतिमान है।

विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी

संजय पाण्डे
सहायक अभियन्ता

टी0एच0 नौटियाल
सहायक अभियन्ता

8
माधवानन्द जोशी
सहायक अभियन्ता


70(23)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते समय देय सबडिविजन शुल्क की देयता के सम्बन्ध में।	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते समय देय सबडिविजन शुल्क की देयता के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा पूरे भूखण्ड क्षेत्रफल पर सबडिविजन शुल्क लिये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(25)	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण में संविदा (अनुबन्ध के आधार पर) तैनात कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण में संविदा (अनुबन्ध के आधार पर) तैनात कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित संविदा कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक बढ़ाकर ही पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।
70(26)	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में स्वीकृत 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में स्वीकृत 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त सम्पूर्ण तथ्यों सहित कास्ट एनालसिस रिपोर्ट तैयार करने, No Loss, No Profit, के आधार पर निर्माण कार्य करने, एच0आर0डी0ए0 को कुल रू0 25,83,25,986.00 (रू0 पच्चीस करोड़ तिरासी लाख, पच्चीस हजार नौ सौ छियासी मात्र) घाटे की प्रति पूति किये जाने का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि बोर्ड के निर्णय से शासन को कार्यालय पत्र संख्या-2315 दिनांक 29.10.2020 तथा अनुस्मारक-1 पत्र संख्या-5300 दिनांक 02.02.2021 के द्वारा सन्दर्भित किया गया है। शासन स्तर से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सचिव, प्रभारी, आवास उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक दिनांक 08.06.2021 के कार्यवृत्त संख्या-1216/वी0-2/2021/44 (आ0)/2017 दिनांक 09.07.2021 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अन्य विकल्पों पर अध्ययन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। तदनुसार कार्यवाही हेतु कार्यालय पत्र संख्या-1915 दिनांक 26.07.2021 के द्वारा संबंधित को निर्देशित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पृथक से एजेण्डा मद संख्या (05) पर विस्तृत रूप में रखा गया है।


विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी


टी0पी0सी0शौटियाल
सहायक अभियन्ता


माधवानन्द जेठ

70(29)	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद	स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 पर आधारित जोनल प्लान के कुछ खसरों में भिन्नता होने के कारण जोनल प्लान को परीक्षण हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को प्रेषित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।	बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में सहयुक्त नियोजक के पत्रांक 741 दिनांक 21.11.2020 के द्वारा प्राधिकरण की 70 वीं बोर्ड बैठक के क्रम में वांछित आख्या संख्या 2013/नि0-5(क)72/1/2010-11 दिनांक 13.12.2020 द्वारा प्रेषित की गयी। उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय पत्रांक 2953 दिनांक 28.12.2020 द्वारा नगर नियोजक एवं सहयुक्त नियोजक के साथ एक बैठक दिनांक 27.01.2021 को नियत की गयी थी तत्सम्बन्धी बैठक दिनांक 20.02.2021 को सम्पन्न हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि जोनल प्लान में कोई भी भू-उपयोग महायोजना के विपरीत न हो इसकी पुष्टि करते हुए जोनल प्लान को अंतिम रूप दिये जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु मुख्य नगर नियोजक संयुक्त नियोजक, मैसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा0लि0 को कार्यालय पत्र संख्या 5589 दिनांक 22.02.2021 द्वारा कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। तदनुसार कार्यदायी संस्था व नगर नियोजन विभाग के स्तर से कार्यवाही विचाराधीन है।
--------	------------------------------	--	---


विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी


कंकज पाठक
सहायक अभियन्ता


टी०पी० नौटियाल
सहायक अभियन्ता


मायवानन्द जोशी
अधिसासी अभियन्ता

71 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या (01) दिनांक 25.05.2021 (परिचालन के माध्यम से) की अनुपालन आख्या

मद संख्या 71 (01)

एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, आवासीय/व्यवसायिक भू-उपयोग में व्यवसायिक दुकान/कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओपीडी/पैथोलॉजी/ड्राइग्नोस्टिक सेंटर/चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल, केंच एवं प्ले ग्रुप स्कूल से सम्बन्धित निर्माणों को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमितकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 707/V-2-आ0-2021-105 (आ0)/2013 टी0सी0 देहरादून दिनांक 24 मार्च 2021 द्वारा पूर्व में एक बार समाधान योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों का निराकरण करने के लिए पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु/एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, आवासीय/व्यावसायिक भू-उपयोग में व्यवसायिक दुकान/कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओपीडी/पैथोलॉजी लैब/ड्राइग्नोस्टिक सेंटर/चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल/केंच एवं प्ले ग्रुप स्कूल आदि के सम्बन्ध में किये गये अनियमित निर्माणों को एक बार समाधान योजना, 2021 के तहत शमन/विनियमितकरण किये जाने हेतु एकल समाधान (One time settlement) योजना लागू किया जाना है, जो शासनादेश के निर्गत होने के 06 माह तक प्रभावी होगी।

निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

शासनादेश के अनुसार उपरोक्त उपविधि के प्राविधान/मानकों पर प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। उक्त शासनादेश संख्या 707/V-2-आ0-2021-105 (आ0)/2013 टी0सी0 देहरादून, दिनांक 24 मार्च 2021 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु पत्रावली पर संलग्न है।

तदनुसार उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित।

विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी

रंजित लाल
सहायक अभियन्ता

टी0पी0 भौटियाल
सहायक अभियन्ता

माधवानन्द जोशी
अधिसूची अभियन्ता

71 वीं बोर्ड बैठक मद संख्या (02) दिनांक 16.06.2021 (परिचालन के माध्यम से) की अनुपालन आख्या

मद संख्या 71 (02)

श्री मुकेश कुमार चौधरी, एफ-71/72 औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार के भूमि, खसरा संख्या-27 क्षे0-0.428, 29/2 क्षे0-0.073977, 30/1 क्षे0-0.773, 30/2 क्षे0-0.372, 30/3 क्षे0-0.424 30/4 क्षे0-0.526 30/5 क्षे0-0.527, 30/6 क्षे0-0.072, 30/7 क्षे0-0.154 30/8 क्षे0-0.102 कुल रकबा - 3.451977 हैक्टेयर ग्राम व मौजा जियापोता तहसील ज्वालापुर जिला हरिद्वार में कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग अर्न्तगत परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री मुकेश कुमार चौधरी, ए.फ.-71/72 औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार के पत्र दिनांक 07-10-2020 द्वारा भूमि खसरा संख्या-27 क्षे0-0.428, 29/2 क्षे0-0.073977, 30/1 क्षे0-0.773, 30/2 क्षे0-0.372, 30/3 क्षे0-0.424 30/4 क्षे0-0.526 30/5 क्षे0-0.527, 30/6 क्षे0-0.072, 30/7 क्षे0-0.154 30/8 क्षे0-0.102 कुल रकबा - 3.451977 हैक्टेयर ग्राम व मौजा जियापोता तहसील ज्वालापुर जिला हरिद्वार में कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग अर्न्तगत परिवर्तन प्रकरण पर मुख्यालय के पत्रांक-3443 दिनांक-29.11.2019 द्वारा पूर्व प्रेषित आख्या को पुनः परीक्षण कर पुर्नविचार किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है। उक्त क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तराखण्ड द्वारा परीक्षण किया गया जिसके अनुसार परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण उपरान्त विभागीय आख्या निम्नवत है:-

1. भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित भूमि खसरा स-27 क्षे0-0.428, 29/2 क्षे0-0.073977, 30/1 क्षे0-0.773, 30/2 क्षे0-0.372, 30/3 क्षे0-0.424 30/4 क्षे0-0.526 30/5 क्षे0-0.527, 30/6 क्षे0-0.072, 30/7 क्षे0-0.154 30/8 क्षे0-0.102 कुल रकबा- 3.451977 हैक्टेयर ग्राम व मौजा जियापोता तहसील ज्वालापुर जिला हरिद्वार में स्थित है तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखानुसार प्रश्नगत भू-खण्ड पर आवेदक का स्वामित्व है।
2. हरिद्वार महायोजना-2025 के अनुसार प्रश्नगत भू-खण्ड क्षे0-3.451977 हैक्टेयर का भू-उपयोग कृषि अर्न्तगत है।(आंशिक हरिद्वार महायोजना-2025 में स्थित स्थल की छाया प्रति संलग्न है)
3. प्रश्नगत स्थल 30.00 मी0 चौड़े प्रस्तावित महायोजना (हरिद्वार-लक्सर) मार्ग से 12 मी0 चौड़े एवं 51.0 मी0 लम्बे मार्ग से सम्बद्ध है।
4. खसरे की नकल खतौनी में वर्णित अनुसार प्रश्नगत स्थल पर विगत 08 वर्षों से कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव उदा एवं शासन को प्रेषित किया जा चुका है।
अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

विनोद कुमार राव

प्रशासनिक अधिकारी


सहायक अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


12


माधवानन्द जोशी
अधिशासी अधिकारी

		<p>5. प्रश्नगत क्षेत्र महायोजना में नगरीय प्रसार के निकट स्थित है, जिसके चारों ओर तीव्र गति से अनियोजित आवासीय निर्माण कार्य गतिमान है।</p> <p>6. अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत स्थल से लगभग 500.0 मी० आगे हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा कतिपय आवासीय कालोनियो को स्वीकृति प्रदान की गयी है।</p> <p>7. प्रश्नगत स्थल के आस-पास की स्थिति एवं हरिद्वार महायोजना-2025 में नगरीय क्षेत्र के प्रसार के निकट स्थिति के दृष्टिगत प्रश्नगत भू-खण्ड का भू-उपयोग महायोजना में आरक्षित कृषि से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर विचार किया जा सकता है।</p> <p>अवगत कराना है कि भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है। अतः प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग आरक्षित कृषि से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन हेतु शासन को संदर्भित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>तदनुसार उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से अनुमोदित।</p>	
--	--	---	--


विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी


संजय पाठक
सहायक अभियन्ता


टी०पी० नौटियाल
सहायक अभियन्ता


माधवानन्द जोशी
अधिसायी अभियन्ता

मद संख्या 72 (03)

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

BUDGET 2021-22





BUDGET 2021-22
HARIDWAR ROORKEE DEVELOPMENT AUTHORITY
HARIDWAR

Budget at a Glance 2021-22

(Rs. In lac)

		Actual Budget 2019-20	Budget Estimates 2020-21	Actual Budget 2020-21	Budget Estimates 2021-22
I	Revenue Income				
A					
1	Map Fee	41.80	60.00	19.07	30.00
2	Subdivision Fee 50%	452.56	510.00	442.00	500.00
3	Compound Fee 25%	321.69	420.00	141.04	230.00
4	Supervision Fee	36.23	60.00	16.26	60.00
5	Other Income (Tender, etc.)	8.94	18.00	19.57	20.00
6	Development Fee 10%	69.06	96.00	38.50	94.00
7	Land use conversion Fee 10%	35.04	60.00	12.80	20.00
8	Ambaar Fee 5%	31.08	44.00	17.32	43.00
9	Free hold Fee 10%	1.69	12.00	0.36	12.00
10	Maintenance Fee of Harilok	2.27	5.00	10.23	70.00
11	Maintenance Fee of Inderalok I	14.96	24.00	24.48	85.00
12	Maintenance Fee of Transport Nagar	1.70	3.00	1.49	3.00
13	Haritima Fee/Plantation 10%	62.15	87.00	34.65	85.00
14	Sale of brochure	0.00	5.00	0.00	4.00
15	Labour Cess	0.00	625.00	423.16	500.00
	Total (A)	1079.17	2029.00	1200.93	1756.00
B					
I	Interest on investments	392.84	360.00	439.25	450.00
	Total (B)	392.84	360.00	439.25	450.00
	Total Revenue Income(A+B)	1472.01	2389.00	1640.18	2206.00
2	Capital Income				
C	Schemes				
1	Shivlok scheme	0.27	16.00	3.38	14.00
2	Harilok scheme	5.56	51.00	4.90	75.00
3	Shyamlok scheme	0.24	19.00	0.00	20.00


C.P.O.
महाराजगढ़ विकास प्राधिकरण


Secretary
महाराजगढ़ विकास प्राधिकरण


Vice-Chairman
महाराजगढ़ विकास प्राधिकरण


Chairman/Commissioner
महाराजगढ़ विकास प्राधिकरण

4	Ashray Yojana scheme	2.36	46.00	4.44	10.00
5	Transport Nagar, Haridwar	76.83	76.00	16.55	3000.00
6	Indra Lok Scheme -1	7.87	1394.00	13.43	1382.00
7	Indra Lok Scheme - 2	0.00	100.00	0.00	100.00
8	Asaf Nagar Roorkee scheme	0.00	100.00	0.00	100.00
9	Loan (HUDCO & other financial inst.)	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Recovery from staff for HBA & Car loan etc.	0.00	1.00	0.00	1.00
11	Shelter Fund EWS/LIG	69.25	80.00	65.21	80.00
12	PMAY	12.81	1405.00	11.71	1000.00
	Total (C)	175.19	3288.00	119.62	5782.00
D					
1	Infrastructure Development Fund	2276.44	3138.00	1278.07	2000.00
	Total (D)	2276.44	3138.00	1278.07	2000.00
E					
1	Kumbh Mela	12.40	1152.00	0.00	0.00
	Total (E)	12.40	1152.00	0.00	0.00
	Total Capital Income (C+D+E)	2464.03	7578.00	1397.69	7782.00
	Total Income (1+2)	3936.04	9967.00	3037.87	9988.00
I	Revenue Expenditure				
A	Establishment				
(i)	Staff salary & allowances	500.53	575.00	531.16	875.00
(ii)	T.A. bill	0.64	2.00	0.32	2.00
(iii)	Encashment /Pension Anshdan	0.00	30.00	19.51	20.00
(iv)	Honorarium	0.00	1.00	0.00	1.00
(vi)	Medical reimbursement	0.85	12.00	0.62	10.00
	Total (A)	502.02	620.00	551.61	908.00
B	Office / Misc. Expenditure				
(i)	Postage	0.28	1.00	0.28	1.00
(ii)	Stationery	2.04	5.00	2.78	5.00
(iii)	Office Maintenance	23.00	30.00	24.29	30.00
(iv)	Chairman office Maintenance	0.40	2.00	0.62	2.00

3
वीरेंद्र कुमार
C.F.O.
मुख्य वित्त अधिकारी

Secretary

उप-अध्यक्ष
Vice Chairman
हरिद्वार सड़क विकास प्राधिकरण

Chairman/Commissioner

(v)	Telephone Expenditure	3.22	4.00	3.27	4.00
(vi)	Library	0.00	2.00	0.11	2.00
(vii)	Legal Expenditure	12.43	15.00	10.12	15.00
(viii)	Atithi Satkar	1.15	2.00	0.42	2.00
(ix)	Printing	0.00	3.00	1.95	3.00
(x)	Advertisement	3.30	20.00	19.98	20.00
(xi)	Audit Fee	0.00	1.00	0.00	1.00
(xii)	Misc. Expenditure	8.68	10.00	8.17	10.00
(xiii)	Employee Welfare	0.00	10.00	0.00	2.00
(xiv)	Maintenance. Of Machines	1.07	3.00	3.00	3.00
(xv)	Maintenance of Electricity	5.91	8.00	6.45	8.00
(xvi)	Discretionary Fund	2.00	6.00	2.00	6.00
(xvii)	Temp. Advance	0.01	2.00	0.00	2.00
(xviii)	Computer Maintenance	2.20	5.00	2.42	5.00
(xix)	Ambaar Fee	0.00	36.00	0.00	25.00
(xx)	Maintenance In Harilok	6.80	10.00	10.49	10.00
(xxi)	Maintenance Fee of Inderlok	6.85	20.00	12.38	20.00
(xxii)	Maintenance Fee of Transport Nagar	0.00	10.00	0.00	10.00
(xxiii)	F.B.T. & Other Tax	17.39	730.00	0.00	400.00
(xix)	Labour Cess	0.00	625.00	423.16	500.00
	Total (B)	96.73	1560.00	531.89	1086.00
C	Vehicle				
(i)	Maintenance	2.40	3.00	1.62	3.00
(ii)	Petrol / Diesel	13.41	20.00	13.61	20.00
(iii)	Vehicle on rent	29.72	40.00	33.42	40.00
	Total (C)	45.53	63.00	48.65	63.00
D	Advance to Employee				
(i)	Vehicle	0.00	7.00	0.00	10.00
(ii)	H.B.A.	0.00	14.00	0.00	14.00
	Total (D)	0.00	21.00	0.00	24.00
E	Master Plan	18.23	25.00	0.00	25.00
	Total (E)	18.23	25.00	0.00	25.00

42
C.F.O
मुख्य वित्त अधिकारी

Secretary
परिहार-सदस्य विकास परिषद

उपाध्यक्ष
परिहार-सदस्य विकास परिषद
Vice Chairman

Chairman/Commissioner

F	Computerization of H R D A office	0.00	100.00	13.75	100.00
	Total (F)	0.00	100.00	13.75	100.00
	Total Revenue Expenditure (A+B+C+D+E+F)	662.51	2389.00	1145.90	2206.00
2	Capital Expenditure				
A	Purchase Of Assets				
(i)	Purchase of Vehicle / Machine	0.00	10.00	0.00	10.00
(ii)	Purchase of Compute.	8.22	10.00	4.83	10.00
(iii)	Furniture / fixture	9.95	10.00	5.83	10.00
	Total (A)	18.17	30.00	10.66	30.00
B	Purchase of Land				
(i)	For New Scheme	0.00	1600.00	0.00	1000.00
	Total(B)	0.00	1600.00	0.00	1000.00
C	Development/ Const Works in Schemes				
(i)	Shivlok Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Shyamlok Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Harilok Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	Repayment of loan	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	Interest on Loan	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	Consultancy / Training etc.	0.00	10.00	0.00	10.00
(vii)	Deposit Works /Kumbh mela 2016	3.13	18.00	4.19	18.00
(viii)	Haritima / Plantation	80.00	85.00	84.67	85.00
(ix)	Transport Nagar Scheme	0.00	170.00	0.00	200.00
(x)	BHEL Rehab Scheme	0.00	50.00	0.00	50.00
(xi)	Indra Lok Scheme- 1	67.16	60.00	66.64	370.00
(xii)	Indra Lok Scheme - 2	-1.66	200.00	0.00	200.00
(xiii)	Asaf Nagar Roorkee	0.00	15.00	0.00	220.00
(xiv)	New Scheme	0.00	30.00	0.00	30.00
(xv)	P M A Y	0.00	1000.00	0.00	1000.00
(xvi)	Development Fund	0.00	20.00	19.80	20.00
	Total (C)	148.63	1658.00	175.30	2203.00

C.F.O कुमार
मुख्य वित्त अधिकारी


Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

D	Infrastructure Development Fund	62.80	3138.00	1677.22	4549.00
	Total (D)	62.80	3138.00	1677.22	4549.00
E	Kumbh mela 2021	0.00	1152.00	0.00	0.00
	Total (E)	0.00	1152.00	0.00	0.00
	Total Capital Expenditure (A+B+C+D+E)	229.60	7578.00	1863.18	7782.00
	Total Expenditure (1+2)	892.11	9967.00	3009.08	9988.00


C.F.O
 बालीन्द्र कुमार
 मुख्य वित्त अधिकारी


Secretary
 सचिव
 हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
 हरिद्वार


Vice Chairman
 उपाध्यक्ष
 हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
 हरिद्वार



Chairman/Commissioner


मद संख्या 72 (04)


हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा तहसील रूड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में कय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।


हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लैण्ड पुलिंग व्यवस्था के अन्तर्गत माह फरवरी 2019 में चक संख्या 428, खसरा संख्या 254मि०, क्षेत्रफल 0.1440 है०, चक संख्या 332 खसरा संख्या 254 मि० क्षेत्रफल 1.6060 है० व चक संख्या 17 खसरा संख्या 255मि० क्षेत्रफल 0.0180 है० व चक संख्या 61 खसरा नम्बर 254 मि० क्षेत्रफल 0.0180 है०, चक संख्या 259, खसरा नम्बर 255 मि० क्षेत्रफल 0.1440 है० तथा चक संख्या 259 खसरा न० 255 मि० क्षेत्रफल-0.5050 है० कुल रकबा 2.4350 है० अर्थात् 24350.00 वर्ग मी० स्थित राजस्व ग्राम आसफनगर परगना रूड़की तहसील रूड़की जिला हरिद्वार में रू०. 16.36 करोड़ में कय की गयी है। प्रश्नगत स्थल पर उपयोगिता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत मिश्रित आवासीय योजना जिसके अन्तर्गत कुल हिस्से पर भूखण्ड कुल हिस्सों में समूह आवासीय योजना के साथ-साथ योजना की आवश्यकतानुसार व्यवसायिक निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावना के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार मानचित्र तैयार किया गया है। जिसके अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों, व्यवसायिक सामुदायिक सुविधा, पार्क, रोड़ सीवर डिस्पोजल हेतु एस०टी०पी० संयंत्र सहित समस्त अवस्थापना कार्यों का प्राविधान किया गया है। बोर्ड द्वारा तलपट मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अवस्थापना कार्यों की डी०पी०आर० तैयार कर उसका निर्माण एवं विकास कार्य कराये जाने के साथ-साथ नियमानुसार सम्पत्तियों के विक्रय एवं आवंटन की कार्यवाही की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी


महेश कुमार
सहायक अभियन्ता


टी०पी० नौटियाल
सहायक अभियन्ता


माधवानन्द जोशी
अधिसासी अभियन्ता

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 72 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07-09-2021 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 72 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07-09-2021 को मा० अध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की अध्यक्षता में हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के समागार में आयोजित की गयी :-
बैठक की उपस्थिति :-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री रविनाथ रमन, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / अध्यक्ष, एच.आर.डी.ए. | अध्यक्ष |
| 2. श्री विनय शंकर पाण्डेय, उपाध्यक्ष, एच०आर०डी०ए० | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री पी.एस.पंवार, मुख्य अभियन्ता (सचिव, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 4. श्री सुभाष चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता (सचिव, पेयजल विभाग के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 5. श्रीमती सीमा नौटियाल, जिला पर्यटन अधिकारी (सचिव, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 6. श्रीमती प्रवीण कौर, कोषाधिकारी (सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 7. श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, सी.टी.सी.पी.(नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड) | पदेन सदस्य |
| 8. श्री पी०एल०शाह, अपर जिला अधिकारी हरिद्वार (जिलाधिकारी हरिद्वार के प्रतिनिधि) | पदेन सदस्य |
| 9. श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर | पदेन सदस्य |
| 10. श्री दयानन्द सरस्वती, नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार। | पदेन सदस्य |

सर्वप्रथम हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा आयुक्त/ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-


मद संख्या-72 (01) प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04-09-2020 एवं 71 (01) वीं बोर्ड बैठक दिनांक 20-05-2021 (परिचालन), 71(02)वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16-06-2021(परिचालन) के कार्यवृत्त /अनुपालना की पुष्टि की गई। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।


Secretary
सचिव

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


Vice Chairman

उपाध्यक्ष
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


Chairman/ Commissioner

मद संख्या 72 (05)

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि प्राधिकरण बोर्ड बैठक संख्या-63 (19) दिनांक 27.07.2017 के द्वारा कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम को इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था का चयन किया गया था। चयन उपरान्त कार्यदायी संस्था के साथ दिनांक 25.09.2017 में एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया। कार्यदायी संस्था को मोविलाईजेशन मनी के रूप में रू0-200.00 लाख का भुगतान दिनांक 26.09.2017 में किया गया। चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण एवं विकास हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर प्रस्तुत की गयी, जिसे स्वीकृति हेतु शासन एवं उडा को प्रेषित किया गया। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04.01.2018 को सम्पन्न हुई एस0एल0एच0पी0एस0सी0 की बैठक में प्रस्तुत डी0पी0आर0 रू0-4675.96 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रत्येक भवन का विक्रय मूल्य रू0-8.86 लाख का अनुमोदन किया गया, जिसमें रू0-1.86 लाख क्रॉस सब्सिडी प्राधिकरण द्वारा लाभार्थी को, रू0-1.50 लाख केन्द्रांश, रू0-1.00 लाख राज्यांश सहित कुल अनुदान राशि रू0-4.36 लाख प्रति इकाई होती है। लाभार्थी द्वारा देय धनराशि रू0-4.50 लाख होगी जिस पर आवास उपलब्ध कराया जायेगा। बैठक में कार्यदायी संस्था के चयन को लेकर टिप्पणी की गयी थी। कार्यदायी संस्था का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया जाये तथा उत्तर प्रदेश पेयजल निगम से परामर्शी सेवायें प्राप्त किया जा सकेगा। बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा शासन से विभिन्न पत्रों के माध्यम से खुली निविदा किये जाने पर होने वाली कठिनाईयों से अवगत कराते हुए शासन से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा गया। शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-60 दिनांक 10.06.2020 के द्वारा कन्सट्रक्शन डिजाईन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था को अनुमति प्रदान करते हुए निर्माणाधीन भवनों की लागत विक्रय एवं आंवटन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में प्रकरण विस्तृत विवरण सहित प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के मद संख्या-70 वीं (26) के द्वारा दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु आरक्षित भूमि 16179.21 वर्गमी0 का मूल्य एवं प्राधिकरण द्वारा क्रॉस सब्सिडी के रूप में प्रति भवन देय धनराशि सहित कुल रू0-25,83,25,986.00 (रूपये-पच्चीस करोड, तिरासी लाख पच्चीस हजार नौ सौ छियासी मात्र) का अतिरिक्त वहन का प्रस्ताव रखा गया। इस पर बोर्ड द्वारा सर्वसमति से No Profit and No Loss के आधार पर निर्माण कार्य करने तथा स्वीकृत डी0पी0आर0 के अतिरिक्त व्यय हुई धनराशि रू0-258325986.00 (रूपये-पच्चीस करोड, तिरासी लाख पच्चीस हजार नौ सौ छियासी मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा शासन से अनुरोध किया गया।

विनोद कुमार राव
सहायक अभियन्ता


डी0पी0 नोडियल
सहायक अभियन्ता

माधवानन्द जोशी
अधिशारी अभियन्ता


शासन द्वारा इस संबंध में वर्तमान तक कोई लिखित उत्तर नहीं दिया गया है । शासन स्तर पर प्रमारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन आवास की अध्यक्षता में दिनांक 08.06.2021 को सम्पन्न हुई वीडियो कन्फेंसिंग बैठक का कार्यवृत्त संख्या-1216 दिनांक 09.07.2021 प्राप्त हुआ है, जिसके बिन्दु संख्या-02 (1) में उल्लिखित किया गया है कि "इन्द्रलोक आवासीय योजना में भारत सरकार से स्वीकृत 528 किफायती आवास के निर्माण लागत में लगभग रू0-25.00 करोड़ की धनराशि का अतिरिक्त वित्तीय भार आने के कारण इस परियोजना को धारणीय बनाने हेतु अन्य विकल्पों पर अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही की जाय"


चूँकि प्राधिकरण द्वारा कन्स्ट्रक्शन डिजाईन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम के साथ प्राधिकरण का एम0ओ0यू0 निष्पादित है । कार्यदायी संस्था को इस मद में रू0-200.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा स्थल पर कार्यदायी संस्था द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण भी किया गया है । योजना की कुल भूमि 55410.00 वर्गमी0 है, जिसमें से दुर्बल आय वर्ग हेतु आरक्षित 16189.21 वर्गमी0 भूमि घटाने के उपरान्त 39220.79 वर्गमी0 अवशेष रहती है । परियोजना की अवशेष भूमि को भूखण्डों के रूप में विकसित कर ई0डब्लू0एस0 परियोजना पर हो रहे अतिरिक्त व्यय लगभग रू0-25.00 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जा सकती है ।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।


विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी


पंचज राव
सहायक अभियन्ता


टी0पी0 नौटियाल
सहायक अभियन्ता


माधवानन्द जोशी
अधिसाती अभियन्ता

मद संख्या 72 (06)


प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग योजना में निर्मित भवनों के विक्रय/आवंटन हेतु पंजीकरण खोले जाने के सम्बन्ध में


प्राधिकरण द्वारा विकसित इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 में ग्रुप हाउसिंग योजना के अन्तर्गत 96 भवन 2बी0एच0के0 तथा 48 ई0डब्लू0एस भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है। 2बी0एच0के0 भवन का अंतिम मूल्य रू0 48.00 लाख प्रति भवन एवं मेन्टीनेंस चार्ज रू0 1.00 लाख, ई0डब्लू0एस0 भवन मूल्य रू0 7.00 प्रति भवन एवं मेन्टीनेंस चार्ज रू 25,000.00 वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित है। चूंकि इन्द्रलोक आवासीय योजना का निर्माण कई वर्षों पूर्व किया गया है जिसमें 2बी0एच0के0 (87 भवन) एवं ई0डब्लू0एस0 के अन्तर्गत (24 भवन) विक्रय हेतु अवशेष है।


सम्पत्तियों के अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने के उपरांत प्रतिवर्ष वृद्धि 12% ब्याज जोड़ते हुये मूल्य निर्धारण किया जाता है। विदित है कि इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत विकसित ग्रुप हाउसिंग योजना में निर्मित समस्त भवनों का विक्रय अभी तक नहीं हो पाया है।

प्रस्ताव है कि 2बी0एच0के0 भवनों हेतु निर्धारित विक्रय मूल्य (रू0 48.00 लाख) तथा दुर्बल आय वर्ग भवनों का विक्रय मूल्य (रू0 7.00 लाख) को अनुमोदित करते हुये इन दरों को मार्च, 2023 तक यथावत रखा जाय। भवनों के विक्रय हेतु नियमानुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण खोलकर भवनों का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी


टी0पी0 नौटियाल
सहायक अभियन्ता


माशवानन्द जोशी
अधिशाली अभियन्ता

मद संख्या-72 (02)

70 (03)

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2020-2021 का प्रस्तावित आय-व्ययक की अनुपालना पर सहमति प्रदान करते हुए तदनुसार प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किये जाने योग्य है।

70 (05)

हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थित कुल 88 पार्कों के सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्यों के लिये अनुमोदित रू० 1071.72 लाख की स्वीकृति अनुसार कार्य शीर्ष प्राथमिकता के अनुसार सम्पादित कराये जाने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये।

70 (10)

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-116 /2020 विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मौ० कडख से लगकर गुरुद्वारा रोड ज्वालापुर तक नाले का सुदृढीकरण कार्य के लिये अनुमोदित रू० 941.02 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्य स्थल का निरन्तर अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण करते हुए कृत कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये ।

70 (22)

प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं भवनों / भूखण्ड (इन्द्रलोक मुप हाउसिंग एवं ट्रासपोर्ट नगर योजना को छोड़कर) की कीमत पर पुर्नमूल्यांकन हेतु लगाये जाने वाले ब्याज दर के संबंध में बोर्ड द्वारा कॉस्ट बेनीफिट एनालिसिस करते हुए सम्पूर्ण तथ्यों सहित शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये थे । इस संबंध में रिक्त सम्पत्तियों का पुर्नमूल्यांकन करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कॉस्ट बेनीफिट एनालिसिस प्रक्रिया को 02 माह के अन्दर पूर्ण कर पुर्नमूल्यांकित ब्याज दर से शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये है।


Secretary


सचिव

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


Vice Chairman

उपाध्यक्ष

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


Chairman/ Commissioner


मद संख्या 72 (07)


प्राधिकरण की सराय रोड़ ज्वालापुर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र संशोधन उपरान्त भूखण्डों में हुई वृद्धि पर आवंटन एवं देय आरक्षण के सम्बन्ध में।


प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-28 के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना का तलपट मानचित्र संशोधित किया गया है। जिसमें बड़े-बड़े भूखण्डों को छोटे-छोटे भूखण्डों में परिवर्तित किया गया है। जिसके फलस्वरूप भूखण्डों की संख्या में वृद्धि हुई है।


प्राधिकरण की योजनाओं में विकसित आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों में आरक्षण प्रदान किये जाने का प्राविधान है, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत, अनुसूचित जन-जाति को 04 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत, सांसद-विधायक-स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी को 05 प्रतिशत, राज्य सरकार के कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं को 06 प्रतिशत तथा सूचना विभाग उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार को 02 प्रतिशत के आरक्षण का प्राविधान है। उक्त योजना के अन्तर्गत भूखण्डों का विक्रय न होने के कारण विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण की 57वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 22 में प्रस्तुत किया गया था। जिसमें बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि तत्समय अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 39 भूखण्डों को छोड़कर अन्य श्रेणी के आरक्षित भूखण्डों को सामान्य श्रेणी के आवंटियों को आवंटित कर दिया जाय।

योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड के मद संख्या 28 में प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार अनुसूचित जाति के 52, अनुसूचित जन-जाति के 09, अन्य पिछड़ा वर्ग के 28, सांसद-विधायक-स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी को 15, राज्य सरकार के कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं के 14 तथा सूचना विभाग उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार को 06 तथा सामान्य श्रेणी के 66 भूखण्ड सहित कुल 190 भूखण्ड रिक्त हैं। प्राधिकरण की 57 बोर्ड बैठक के मद संख्या 22 में लिए गये निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 52 भूखण्डों को आरक्षित रखते हुए शेष 138 भूखण्डों को सामान्य श्रेणी के आवेदकों के मध्य आवंटित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी


पंकज पाठक
सहायक अभियन्ता


टीपी नोटियाल
सहायक अभियन्ता


महेश्वानन्द जोशी
अधिसायी अभियन्ता

70 (29)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद :-

स्वीकृत हरिद्वार महायोजना-2025 पर आधारित जोनल प्लान के कुछ खसरों में भिन्नता होने के कारण जोनल प्लान के सम्बन्ध में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं कार्यदायी संस्था को शीर्ष प्राथमिकता पर 02 माह की समय सीमा निर्धारित किये जाने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये।

मद संख्या-72 (03)

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार का वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रस्तावित आय-व्ययक पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रस्तावित आय-व्ययक को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या-72 (04)

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा तहसील रूड़की जिला हरिद्वार के ग्राम आसफनगर में क्रय की गयी भूमि पर मिश्रित आवासीय परियोजना तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तुत तलपट मानचित्र को स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या-72 (05)

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 में प्रस्तावित 528 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण कार्य संबंधी प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श किया गया । विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार स्थल पर ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण कार्य चयनित कार्यदायी संस्था से प्रारम्भ कराया जाये । साथ ही साथ दुर्बल आय वर्ग के भवनो के निर्माण हेतु आरक्षित भूमि का मूल्य एवं प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली क्रास सब्सीडी की प्रतिपूर्ति योजना के अवशेष सम्पत्ति से इस प्रकार सुनिश्चित की जाय कि किसी भी दशा में प्राधिकरण को वित्तीय हानि न होने पाये । साथ ही साथ यह भी निर्देश

Secretary

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Vice Chairman

उपाध्यक्ष
हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


Chairman/ Commissioner

मद संख्या 72 (08)


प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवास माना जाए या नहीं के सम्बन्ध में।


प्राधिकरण की हरिलोक आवासीय योजना, शिवलोक आवासीय योजना भाग-1, शिवलोक आवासीय योजना भाग-2, इन्द्रलोक आवासीय योजना की दो मंजिला भवनों, तीन मंजिला भवनों, चार मंजिला भवनों का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया गया था। शासनादेश संख्या 1242 दिनांक 15.06.1988 द्वारा लीज पर भवन/भूखण्ड पर आवंटन की जाने की प्रक्रिया थी, परन्तु प्राधिकरण में बोर्ड द्वारा अनुमोदित पंजीकरण एवं आवंटन नियमावली 1987 लागू की गयी। जिसमें लीज पर आवंटित भूखण्ड/भवन लीज पर दिये जाने की व्यवस्था की गयी, लीज पर आवंटित भवन/भूखण्डों विक्रय करने से पूर्व प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक प्राविधान आवंटियों/क्रेताओं के लिए किया गया था। अनुमति प्राप्त करने के प्राविधान में यह भी व्यवस्था है कि भवन/भूखण्ड की कीमत एवं विक्रय की कीमत के अन्तर का निर्धारित लाभांश भी देना होगा। लाभांश केवल 05 वर्ष के अन्दर बेचने वाले आवंटियों/क्रेताओं के लिए था। शासनादेश द्वारा लाभांश न लेने के आदेश संख्या 728 दिनांक 06.02.1997 (संलग्न पताका-ख) द्वारा निर्णय लिया गया है कि " विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्डों /भवनों के आवंटियों द्वारा हस्तांतरण के समय विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त करने की परम्परा कुछ विकास प्राधिकरणों में है। इस उद्देश्य कदाचित यह है कि लीज की धनराशि यदि कोई बाकी है तो उसकी अद्यावधिक वसूली हो जाए तथा नये क्रेता को कोई असुविधा न हो। इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए निर्णय लिया गया है कि भविष्य में एकल भूखण्ड या भवन के आवंटियों को हस्तांतरण करने के लिए विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जब हस्तांतरण और रजिस्ट्रेशन के लिए विकास प्राधिकरण के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाएगा तो वह यदि कोई बकाया आदि है तो उसके पूर्व भुगतान की शर्त लगा सकते हैं। विकास प्राधिकरण चाहे तो म्यूटेशन हेतु एक फीस भी निर्धारित कर सकते हैं जो परिसम्पत्ति के मूल्य का एक प्रतिशत हो सकता है"

पिछली बोर्ड बैठक में उक्त शासनादेशों के अनुसार सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत शुल्क लगाकर म्यूटेशन करने का प्रावधान किया गया है। चूंकि प्रकरण को इस आशय से बोर्ड में रखे जाने का निर्देश हुआ कि एकल भूखण्ड/भवन एक मंजिल से अधिक निर्मित भवनों में एकल आवास माना जाये या नहीं। तदनुसार प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखे जाने हेतु आख्या आदेश प्रस्तुत है।


विनाद कुमार सिंह
प्रशासनिक अधिकारी


विनाद कुमार सिंह
सहायक अभियन्ता


टीपी० नौटियाल
सहायक अभियन्ता


महेश्वरी
अधिशाली अभियन्ता

दिये गये कि अवशेष सम्पत्ति की कार्य योजना 02 माह के अन्तर्गत निश्चित रूप से तैयार कर प्रेषित की जाये । यहाँ यह भी संज्ञान में लाना है कि चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित डी0पी0आर0 रू0-46.75 करोड़ के सापेक्ष रू0-5.00 करोड़ की छूट प्रदान करते हुए कार्य को रू0-41.75 करोड़ में पूर्ण करने की सहमति प्रदान की गयी है । तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये गये ।

मद संख्या-72 (06) प्राधिकरण की इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग योजना में निर्मित भवनों के विक्रय /आवंटन हेतु पंजीकरण खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई ।

मद संख्या-72 (07) प्राधिकरण की सराय रोड़ ज्वालापुर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र संशोधन उपरान्त भूखण्डों में हुई वृद्धि पर आवंटन एवं देय आरक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त बोर्ड द्वारा अनुसूचित श्रेणी के भूखण्डों को आरक्षित रखते हुए प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्देश दिये गये कि यदि अन्य आरक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा आवेदन किया जाता है तो उन्हें आवंटन में वरीयता प्रदान की जायें ।

मद संख्या-72 (08) प्राधिकरण की सम्पत्तियों के म्यूटेशन पर 01 प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क लगाये जाने हेतु 01 मंजिल से अधिक निर्मित भवनों को एकल आवास माना जाए या नहीं सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त विस्तृत प्रस्ताव सभी विधिक राय लेते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये ।


Secretary

सचिव
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


Vice Chairman

उपाध्यक्ष
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


Chairman/Commissioner

मद संख्या 72 (09)

प्राधिकरण की श्यामलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भू-खण्ड संख्या सी0-1, सी0-2 क्षेत्रफल 3000 वर्ग मी0 के भू-उपयोग को ग्रुप हाउसिंग से ऑफिस कम रेजीडेन्स में परिवर्तित किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन विषयक।

प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की श्यामलोक आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या सी0-1 एवं सी0-2 केन्द्रीय जल आयोग को ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन हेतु आवंटित है। अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन विकास एवं गंगा पुर्नोधार मंत्रालय केन्द्रीय जल आयोग देहरादून द्वारा अपने पत्र के माध्यम से ऑफिस कम रेजीडेन्सियल कॉम्प्लैक्स बनाने हेतु अनुरोध किया गया है। अवगत कराना है कि श्यामलोक के स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का उपयोग ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित है। वर्तमान में प्रभावी महायोजना-2025 के अनुसार भूखण्ड का उपयोग व्यवसायिक के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून के पत्र संख्या 2358 दिनांक 19.11.2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि "यद्यपि उक्त आवासीय कालोनी एवं उसमें स्थित प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भू-खण्ड का उपयोग वर्तमान में प्रभावी हरिद्वार महायोजना-2025 में व्यवसायिक अन्तर्गत प्रस्तावित है। तथापि पूर्व महायोजना के अनुसार स्वीकृत प्रश्नगत तलपट मानचित्र एवं उसमें आवंटित भू-खण्ड के प्रकरण पर वर्तमान में प्रभावी महायोजना के अनुसार भू-उपयोग का संदर्भ दिया जाना प्रासंगिक नहीं होगा। साथ ही चूँकि स्वीकृत तलपट मानचित्र में प्रश्नगत भू-खण्ड ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित है। अतः भू-खण्ड में office-cum Residential जैसे Mixed प्रयोजन के भवन निर्माण पर स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही पर विचार करने से पूर्व तलपट मानचित्र के तदनुसार संशोधन आवश्यक होगा"।

अतः उपरोक्तानुसार तलपट मानचित्र अनुसार **office-cum Residential** जैसे **Mixed** प्रयोजन के भवन निर्माण पर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



विनोद कुमार राव
प्र. सैनिक अधिकारी



संजय कलक
सहायक अभियन्ता



टीपी0 नौटियाल
सहायक अभियन्ता



माधवानन्द जोशी
अधिशासी अभियन्ता

मद संख्या-72 (09)

प्राधिकरण की श्यामलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत मूखण्ड संख्या सी-1, सी-2 क्षेत्रफल 3000 वर्ग मी० के भू-उपयोग को मुप हाउसिंग से ऑफिस कम रेजीडेन्स में परिवर्तित किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में संशोधन विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त उक्त मूखण्ड को सन्दर्भित आवासीय योजना से पृथक करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि मूखण्ड धारक को योजना के अवस्थापना विकास कार्यों का कोई लाभ नहीं प्रदान किया जायेगा और न ही योजना की ओर कोई गेट व रास्ता खोला जायेगा ।

मद संख्या-72 (10)


प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत मूखण्डों / भवनों के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुरक्षण शुल्क की वसूली सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई । तदोपरान्त प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता के साथ नगर निगम के साथ संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही कराते हुए हरिलोक कालोनी नगर निगम हरिद्वार को 02 माह के अन्दर Hand Over किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।

मद संख्या-72 (11)

प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पी०पी०पी० मोड पर अल्प आय वर्ग के भवनों हेतु ग्राम मंगलौर परगना मंगलौर तहसील रुड़की के अन्तर्गत खसरा सं०-2732 व 2733 का भू-उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई । तदोपरान्त इस संबंध में सी०टी०सी०पी० का मन्तव्य लेते हुए विस्तृत प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये ।


Secretary
सचिव

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण


Vice Chairman
उपाध्यक्ष

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण


Chairman/Commissioner

मद संख्या 72 (10)प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनी हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्डों/ भवनों के सापेक्ष अनुरक्षण शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुरक्षण शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में ।

शासनादेश संख्या-1200/09-08-आ-2000 दिनांक 06.03.2000 द्वारा विकसित प्राधिकरण की विभिन्न योजनाएं जो नगर निगम/नगर पालिका /नगर पंचायत को हस्तांतरित नहीं की गयी है, के अनुरक्षण शुल्क हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है :-

- 1- आवासीय भूखण्डों के क्षेत्रफल का रू0 1.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह ।
- 2- संस्थागत तथा कार्यालय प्रयोग हेतु रू0 1.50 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह ।
- 3- व्यवसायिक भूखण्डों के लिए रू0 02/- प्रति वर्ग मीटर प्रति माह ।
- 4- स्कूल भूखण्ड के लिए रू0. 1.50 प्रति वर्ग मीटर प्रति माह ।
- 5- रिक्त भूखण्डों पर जिस पर, आवंटियों द्वारा भूखण्डों का कब्जा प्राप्त कर लिया है किन्तु निर्माण कार्य नहीं किया गया है, उन आवंटियों पर निर्धारित 25 % धनराशि अनुरक्षण शुल्क के रूप में वसूल किया जाये ।

उक्त दरें 01.04.1998 से लागू की गयी है। प्राधिकरण बोर्ड बैठक के मद संख्या 58(13) पर शासनादेश में निर्धारित दरों को संशोधन कर नई दर लागू करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया था । बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1208 दिनांक 05.08.2015 द्वारा निम्न दर संशोधित की गयी । जो निम्नवत है :-

क्रमांक	भवन/ भूखण्डों की श्रेणी	शुल्क रू0 प्रति वर्ग मी0
1	आवासीय भूखण्डों/ भवनों	रू0 3.00
2	संस्थागत तथा कार्यालय भूखण्ड भवन	रू0 4.00
3	स्कूल भूखण्ड/ भवन	रू0 5.00
4	रिक्त भूखण्ड पर जिस पर आवंटियों द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया है परन्तु निर्माण कार्य नहीं किया गया है।	उक्त भूखण्ड / भवन की श्रेणी के भूखण्ड मूल्य का 25 प्रतिशत

विनोद कुमार राव
सहायक अभियन्ता


टी0पी0 नोटियाल
सहायक अभियन्ता


माधवानन्द जोशी
अधिशारी अभियन्ता


हरिलोक आवासिक विकास समिति (रजि०), हरिलोक कालोनी, नयी मण्डी के सामने ज्वालापुर जिला-हरिद्वार (उत्तराखण्ड) द्वारा पत्र संख्या 16 / एच०आर०डी०ए० दिनांक 22 जून, 2021 जिसमें अवगत कराया गया है कि हरिलोक आवासीय योजना 11/2018 से नगर निगम, हरिद्वार के वार्ड सं०- 60 के अन्तर्गत आ गयी है जैसा कि नगर निगम, हरिद्वार के वार्ड सं०- 60 के पार्षद चुनाव का निर्णय दिनांक 20.11.2018 को घोषित हुआ था। प्राधिकरण हरिद्वार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1208 दिनांक / एन-29/अभि०-1(क)495/96(2015-16) दिनांक 05.08.2015 द्वारा हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत नगर सीमा के बाहर प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित आवासीय कालोनियों एवं व्यवसायिक परियोजन के रख-रखाव हेतु शासनादेश सं०-1200 /9-आ-2000 दिनांक 16.03.2000 के अनुसार निर्धारित अनुरक्षण शुल्क की दरों एवं जल संयोजन, भवन निर्माण हेतु जल व्यय मूल्य की पूर्व निर्धारित दरों को भारत सरकार के कास्ट इण्डैक्स के आधार पर संशोधन किये जाने के प्रस्ताव को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 15.07.2015 द्वारा मद संख्या-58(13) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसके अनुसार अनुरक्षण शुल्क को संशोधित करने एवं बकाया अनुरक्षण शुल्क की वसूली हेतु प्रतिवेदन के प्राधिकरण बोर्ड बैठक में निर्णय तक स्थगित किये जाने का अनुरोध किया गया है।


अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा हरिलोक योजना के रख-रखाव हेतु हस्तांतरण करने की कार्यवाही गतिमान है। योजना नगर निगम हरिद्वार को हस्तांतरित करने तक अनुमोदित दर से अनुरक्षण शुल्क लिया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।


विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी


विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी


टी०पी० नौटियाल
सहायक अभियन्ता


माधवानन्द जोशी
अधिसारी अभियन्ता

मद संख्या 72 (11)

प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पी0पी0पी0 मोड़ पर अल्प आय वर्ग भवनों हेतु ग्राम मंगलौर परगना मंगलौर तहसील रुड़की के अन्तर्गत खसरा संख्या 2732 व 2733 का भू उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के अन्तर्गत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के विकास क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित आवासीय परियोजना के निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में किफायती आवासीय घटक अन्तर्गत पी0पी0पी0 मोड़ में आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु मै0 एस0के0 हिन्दुस्तान प्रा0लि0 द्वारा अब्दुल लतीफ व श्री संदीप जैन, ग्राम मंगलौर तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार द्वारा आवासीय योजना जिसका प्रस्तावित स्थल पर भू-उपयोग कृषि है, के भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित अभिलेखों की छायाप्रति उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

भू-स्वामित्व सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। चक संख्या 1230 में गाटा संख्या 2732 रकबई 0.930 हे0 तथा गाटा संख्या 2733 में चक संख्या 100 में रकबई 0.553 हे0 भूमि, कुल भूमि 1.483 हे0 अर्थात् 14830.00 वर्ग मी0 पर चकबन्दी/तहसील के द्वारा स्वामित्व की पुष्टि की गयी है। प्रस्तुत मानचित्र का परीक्षण किया गया, मानचित्र तकनीकी दृष्टि से ठीक है।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 213 दिनांक 24.01.2019 के द्वारा मंगलौर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पी0पी0पी0मोड़ पर अल्प आय वर्ग भवनों के मानचित्र पर कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तलपट मानचित्र की अनापत्ति प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2 कार्यालय ज्ञाप संख्या 1058/वी-2-2017-66(आ0)/2017 देहरादून, दिनांक 15 सितम्बर, 2017 के अनुसार उत्तराखण्ड आवास नीति, 2017 के किफायती आवास मॉडल-2 के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं है।

उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग की अधिसूचना संख्या 56/वी-2-आ0-2020- 45(रिट)/2018 देहरादून, दिनांक 13 जनवरी 2020 में उत्तराखण्ड नगर योजना एवं विकास (प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत चयनित परियोजनाओं में भू-उपयोग का परिवर्तन) नियमावली, 2020 में उल्लिखित है:-

बिन्दु संख्या 04 के पैरा 04 अनुसार:- यदि निजी विकासकर्ता द्वारा तत्समय प्रवृत्त आवास नीति के अन्तर्गत परियोजना स्वीकृत की जाती है तो वह आवास नीति में उल्लिखित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की छूट का हकदार होगा।

बिन्दु संख्या 06:- जहां महायोजना प्रभावी नहीं है वह कृषि भूमि के भू-उच्चीकरण की व्यवस्था के लिए कृषि भूमि से भू-उच्चीकरण आवासीय क्षेत्र में किया जायेगा तथा भविष्य में महायोजना के अधीन उक्त क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र माना जायेगा।

चूंकि उक्त स्थल किसी महायोजना के अन्तर्गत नहीं आता है। स्थल का भू-उपयोग कृषि होने के फलस्वरूप भू-उच्चीकरण आवासीय क्षेत्र में किये जाने पर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष उक्त प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

विनोद कुमार राव
सहायक अभियन्ता

टी0पी0 नोटियाल
सहायक अभियन्ता
33

माधवानन्द जोशी
अधिसूचना अभियन्ता

मद संख्या 72 (12)

निरंजनी आखाडा रोड़ श्रवणनाथ नगर (लाहौर हाउस) पर मैसर्स प्रसाद हैरिटेज प्रोनोट प्रा० लि० डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ प्रसाद द्वारा पूर्व स्वीकृत गेस्ट हाउस को होटल में परिवर्तन सम्बन्धित शमन विषयक।

अवगत कराना है कि उपरोक्त स्थल पर पूर्व में विद्यमान धर्मशाला पर (Assessment-1979 To 1988) पर संस्था द्वारा **Addition and Alteration** का निर्माण कार्य करने पर प्राधिकरण के द्वारा वाद संख्या नोटिस/हरिद्वार/349/2018-19 योजित किया गया था। आवेदक के द्वारा गैस्ट हाऊस के रूप में शमन कराने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार गैस्ट हाऊस के रूप में शमन कराने हेतु ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग से सुझाव प्राप्त किये गये। ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग के पत्र संख्या 432/उडा-95/उडा-95/2015 दिनांक 26.05.2017 सुझावों के आधार पर भवन पूर्व निर्मित धर्मशाला वाले भवन को **Addition and Alteration** करते हुए गैस्ट हाऊस की अनुमति प्रदान की गयी। वर्तमान में विपक्षी के द्वारा भवन के अग्र आवरण में नियमानुसार फसाड नीति के अंतर्गत निर्माण करते हुए स्वैच्छिक शमन योजना (**O.T.S.**) के अन्तर्गत प्रस्ताव शमन हेतु प्रस्तुत किया गया है। अवगत कराना है कि हरिद्वार महायोजना 2025 के अनुसार आवासीय भू-उपयोग में 1500 वर्गमी० से अधिक पर बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा। प्रस्तुत मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जोकि अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत तथा निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	मद	भवन उपविधि अनुसार	प्रस्तावित
1	Width of Road	12.00 मी०	6.0 मी० (Ext) (ओ०टी०एस० के अन्तर्गत कुम्भ क्षेत्र में गेस्ट हाउस इत्यादि में सड़क तथा प्लाट एरिया में 50 प्रतिशत छूट का प्राविधान किया गया है)
2	Plot Area	650 वर्गमी० (अन्य होटल)	1943.72 वर्गमी०
3	Set Backs	10.0 मी०(F), 5.0 मी० (R), 4.50 मी०(S1), 4.50मी०(S2)	10.0 मी०, 1.296मी० (Ext), 0.0 मी०, 0.0 मी० (चार सैटबैक पूर्व निर्मित)
4	F.A.R.	2.0	1.10
5	Ground Coverage	45%	40.59%
6	Height	24.00 मी०	12.00 मी०
7	Parking	आवश्यक-26 ECS	24 ECS on Terrace 2-0ECS To be Compounded

अतः स्वैच्छिक शमन योजना (**O.T.S.**) के अन्तर्गत होटल भवन का शमन मानचित्र का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विनोद कुमार राव

सहायक अभियन्ता

टी०पी० नौटियाल
सहायक अभियन्ता

माधवानन्द जोशी
सहायक अभियन्ता

मद संख्या-72 (12)

निरंजनी अखाडा रोड श्रवणनाथ नगर (लाहौर हाउस) पर मैसर्स प्रसाद हैरिटेज प्रोनोट प्रा० लि० डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ प्रसाद द्वारा पूर्व स्वीकृत गेस्ट हाउस को होटल में परिवर्तन सम्बन्धी शमन प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई । तदोपरान्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा सी०टी०सी०पी० का मन्तव्य एवं अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र करते हुए तदनुसार प्राधिकरण को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-72 (13)

मैसर्स IRC INFRA Built प्रा० लि० डायरेक्टर श्री राजीव बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल द्वारा पृथक-पृथक 02 व्यवसायिक मानचित्रों को स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत होटल में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा सी०टी०सी०पी० का मन्तव्य एवं अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए तदनुसार प्राधिकरण को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या-72 (14)

खसरा नम्बर 1533, ग्राम अन्नेकी हेतमपुर, रोशनाबाद जवाहर नवोदय विद्यालय से हरनौल रिवर ब्रिज, एस०एच०-27 परगना रुड़की तहसील व जिला हरिद्वार में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० के रिटेल आउटलेट की प्रस्तावना सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई । तदोपरान्त इस प्रकरण को एजेण्डा मद से समाप्त करते हुए नियमानुसार उडा बोर्ड को भेजे जाने के निर्देश दिये गये ।

मद संख्या-72 (15)

प्राधिकरण बोर्ड के पुर्नगठन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तदोपरान्त प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये।


Secretary
सचिव

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार


Vice Chairman
उपाध्यक्ष

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार



Chairman/Commissioner


मद संख्या 72 (13)


मैसर्स IHC infra Built प्रा० लि० डायरेक्टर श्री राजीव बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल द्वारा पृथक-पृथक 02 व्यवसायिक मानचित्रों को स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत होटल में परिवर्तन विषयक।

अवगत कराना है कि मैसर्स IHC infra Built प्रा० लि० डायरेक्टर श्री राजीव बंसल पुत्र श्री सुरेश चन्द्र बंसल द्वारा ग्राम सुल्तानपुर माजरी के खसरा संख्या 07 मि० परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के बहादुराबाद सिडकुल मार्ग, 45 मीटर पर स्थित भूखण्ड एरिया 1498.90 वर्ग मीटर पर व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत कराया गया तथा श्री मती बीना बंसल पत्नी स्व० श्री सुरेश चन्द्र बंसल द्वारा उक्त भूखण्ड के साथ पृथक से 1498.48 वर्ग मी० भूखण्ड पर भूतल व लोअर ग्राउण्ड पर व्यवसायिक तथा उसके ऊपरी दो तलों में होटल का मानचित्र स्वीकृत कराया गया। भू-स्वामी द्वारा दोनों स्वीकृत मानचित्रों को एक साथ मिलाकर कार्य करने पर कार्यालय द्वारा वाद संख्या नो०/ज्वा०/501/2019-20 योजित किया गया। आवेदक द्वारा कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 3155.00 वर्ग मी० भूमि पर ग्राम सुल्तानपुर खसरा नम्बर 07 जिस पर 02 पृथक-पृथक स्वीकृत मानचित्रों को होटल में परिवर्तित कर मानचित्र स्वीकृत कर शमन किये जाने हेतु आवेदन किया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 में आवासीय (R-2) के अन्तर्गत एवं महायोजना मार्ग 50 मीटर पर स्थित है। प्रस्तुत प्रस्ताव महायोजना मार्ग हेतु अपनी भूमि में से मार्गाधिकार हेतु भूमि छोड़ने के उपरान्त कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 3155.00 वर्ग मी० में से 230.60 वर्ग मी० एरिया जो मार्गाधिकार से प्रभावित है को छोड़ते हुए अवशेष भूखण्ड 2924.40 वर्ग मी० पर होटल के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गयी है। अवगत कराना है कि महायोजना के अध्याय-10 परिक्षेत्रीय विनियमन के प्रस्तर 10.3.1 आवासीय भू-उपयोग में न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर 1500 वर्ग मी० तक के भूखण्ड क्षेत्रफल में होटल/व्यवसायिक प्रतिष्ठान की स्वीकृति उपाध्यक्ष से अनुमन्य है तथा 1500 वर्ग मी० से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्राधिकरण बोर्ड/नियन्त्रक प्राधिकारी सभा के अनुमोदनोपरान्त होटल का निर्माण अनुमन्य किया जा सकता है। प्रस्तुत मानचित्र का तकनीकी परीक्षण किया गया, जोकि अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत तथा निम्न प्रकार है:-


विनोद कुमार


टी०पी० नोटियाल
सहायक अभियन्ता



माधवानन्द जोशी
अभियन्ता


विवरण निम्न प्रकार है:-


क्र०सं०	विवरण	भवन उपविधि के अनुसार	प्रस्ताव के अनुसार
1	भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल (04 star category)	1000 वर्ग मीटर	2924.40 वर्ग मीटर
2	पहुंच मार्ग	12 मीटर	50.00 मी०
03	सेट बैंक		
	फ्रन्ट सैट बैंक	10.00 मीटर	10.00 मीटर
	रियर सैट बैंक	5.00 मीटर	5.00 मीटर
	साईड सैट बैंक-1	4.50 मीटर	5.00 मीटर
	साईड सैट बैंक-2	4.50 मीटर	5.00 मीटर
04	भू-आच्छादन	45.00 प्रतिशत (1315.98 वर्गमी०)	43.42 प्रतिशत (1269.74 वर्गमी०)
05	एफ०ए०आर०	2.0(5848.80 वर्गमी०)	1.66(4868.72 वर्गमी०)
06	भवन की ऊंचाई	15.00 मीटर	16.44 मी० (As per O.T.S. Scheme 2021 compoundable limits up to 15%)
	तलों की संख्या	भूतल +4 तल	भूतल +4 तल
07	पार्किंग	70.62 ई०सी०एस०	Open parking = 43.33 ECS Covered Parkim=ng = 28.28 ECS Total Parking =71.61 ECS
08	अन्य विवरण	-	-


आवेदक द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत होटल मानचित्र की तकनीकी जांच की गयी। जांचोपरान्त ग्राउण्ड कवरेज एवं एफ०ए०आर०, समस्त सैट बैंक एवं पार्किंग आदि प्रचलित भवन उपविधि व OTS SCHEME 2021 के अनुसार ही प्रस्तावित है। प्रश्नगत स्थल सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित होने के कारण होटल की निर्माण व्यवसायिक सार्थकता दृष्टिगोचर होती है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


विनोद कुमार सिंह


सहायक अभियन्ता


टी०पी० नाटियाल
सहायक अभियन्ता


माखवानन्द जोशी
अधिशाली अभियन्ता

मद संख्या-72 (14)


खसरा नंबर 1533, ग्राम अन्नेकी-हेतमपुर, रोशनाबाद जवाहर नवोदय विद्यालय से हरनौल रिवर ब्रिज, एस.एच.-27 परगना रूड़की तहसील व जिला-हरिद्वार में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०. के रिटेल आउटलेट की प्रस्तावना के सम्बन्ध में।

श्री पंकज पुत्र श्री मेनपाल निवासी सलेमपुर महदूद, ज्वालापुर तहसील व जिला-हरिद्वार द्वारा आवेदन दिनांक 31.08.2021 द्वारा खसरा नंबर 1533, ग्राम अन्नेकी-हेतमपुर, परगना रूड़की तहसील व जिला-हरिद्वार में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०. के रिटेल आउटलेट की स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक 18.00 मीटर चौड़ाई के सापेक्ष उपलब्ध 9.14 मीटर चौड़ाई के सम्बन्ध में छूट दिये जाने का अनुरोध किया गया है। सक्षम तकनीकी से जांच कराने पर अवगत कराया गया है कि स्थल पर पहुंच मार्ग 18.00 मीटर (अनुमन्य) के स्थान पर 9.14 मीटर उपलब्ध होने पर मार्ग की चौड़ाई की छूट का प्रतिशत 50 है।


आवास अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 1311/वी-2/21-10 (आ०) / 2020 दिनांक 26.07.2021 के बिन्दु संख्या-2 में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2016 के मानकों में शिथिलीकरण की अधिकारिता निर्धारित करते हुए 25-50 प्रतिशत तक की शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण बोर्ड में निहित है। उपरोक्तानुसार छूट के शिथिलीकरण हेतु प्रार्थी का आवेदन उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्ताव हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।




विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी



पंकज पालक
सहायक अभियन्ता



टी०पी० नौटियाल
सहायक अभियन्ता



माधवानन्द जोशी
आंशिकी अभियन्ता

मद संख्या 72 (15)


प्राधिकरण बोर्ड के पुर्नगठन के सम्बन्ध में,

उपरोक्त विषयक प्रकरण प्राधिकरण की बोर्ड बैठक संख्या 66 (9) में प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड द्वारा पुर्नगठन प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण बोर्ड के पुर्नगठन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी। तदोपरान्त नियमानुसार सुस्पष्ट प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गये। प्राधिकरण बोर्ड गठन से सम्बन्धित शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 3533 दिनांक 04.01.2007 के द्वारा बोर्ड का गठन किया गया है। उक्त गठित बोर्ड में नगर पालिका परिषद, हरिद्वार, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश एवं नगर पंचायत, मुनिकीरेती तथा नगर पंचायत, रानीपुर के अध्यक्ष को प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है। हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र को अधिसूचना संख्या 1277 दिनांक 13.09.2019 के द्वारा पुर्नगठित करते हुए सम्पूर्ण जिला हरिद्वार के भू-भाग को विकास क्षेत्र घोषित किया गया है। इस प्रकार पूर्व में विकास क्षेत्र में सम्मिलित जिला देहरादून, जिला टिहरी तथा जिला पौड़ी गढ़वाल का भू-भाग अब हरिद्वार रूड़की विकास क्षेत्र का भाग नहीं है। जिस कारण अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश तथा मुनिकीरेती को बोर्ड सदस्य बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। दिनांक 04.01.2007 में गठित बोर्ड में अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार तथा अध्यक्ष, रानीपुर हरिद्वार सदस्य नामित है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद, हरिद्वार को उच्चीकृत करते हुए नगर निगम तथा नगर पंचायत रानीपुर को उच्चीकृत करते हुए नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर बना दिया गया है। उक्त के अतिरिक्त हरिद्वार जिले के अंतर्गत नगर निगम रूड़की, नगर पालिका परिषद मंगलौर, लक्सर तथा नगर पंचायत झबरेडा, भगवानपुर, पिरान कलियर व लंदौरा स्थानीय निकाय है।


अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण बोर्ड को पुर्नगठित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।




विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी



विनोद कुमार राव
प्रशासनिक अधिकारी



टी.पी.नौटियाल
सहायक अभियन्ता



माधवानन्द जोशी
अधिसूचना अधिकारी

मद संख्या 72 (16)
(अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद)


मद संख्या-72 (16)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :-

प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्तियों पर निर्धारित समयावधि के अन्दर निर्माण न करने के प्रतिबन्ध व निरस्तीकरण तथा सरचार्ज की वसूली के शिथिलीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न निर्देश प्राधिकरण को दिये गये :-

1- प्राधिकरण द्वारा पूर्व में विकसित शिवलोक आवासीय योजना भाग-1,2 एवं 3, गायत्रीलोक आवासीय योजना, श्यामलोक आवासीय योजना, हरिलोक आवासीय योजना एवं इन्द्रलोक आवासीय योजना एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिनके विक्रय विलेख में अर्थदण्ड का प्राविधान है, को सम्पूर्ण तथ्यों सहित शिथिलता हेतु शासन को सन्दर्भित किया जाये तथा ऐसे विक्रय विलेख वाले प्रकरण जिनमें निरस्तीकरण का प्राविधान किया गया है, में निर्माण कार्य हेतु 02 वर्ष की समय-सीमा अन्तिम रूप से प्रदान करने के निर्देश प्राधिकरण को दिये गये। भविष्य में जो भी रजिस्ट्री / लीज डीड निष्पादित की जायेगी उनमें अनिर्माण हेतु शर्त विलोपित करने हेतु निर्णय लिया गया।


अन्त में सचिव, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 अध्यक्ष, एच0आर0डी0एव/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं उपाध्यक्ष /जिलाधिकारी व अन्य पदेन सदस्यों को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।


Secretary
सचिव

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण


Vice Chairman
उपाध्यक्ष

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण


Chairman/ Commissioner

प्रेषक,

सचिव,
हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, तीर्थाटन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
7. जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, ग्राम्य एवं नगर नियोजक विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
10. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर हरिद्वार।

संख्या : 2822/प्रशा0-2(क)-22/79/2021-22

दिनांक: 04/10/2021


विषय : हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.09.2021 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.09.2021 को अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल गढ़वाल की अध्यक्षता में कार्यालय हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(उत्तम सिंह चौहान)
सचिव

प्रतिलिपि:-

अध्यक्ष, ह0रू0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, गढ़वाल को उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति संलग्न कर सादर प्रेषित है।


(उत्तम सिंह चौहान)
सचिव

कार्यालय हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार


संख्या : 2823/प्रशा0-2(क)-22/79/2021-22

दिनांक: 04/10/2021

- 1- संयुक्त सचिव, शाखा कार्यालय, रूडकी
- 2- मुख्य वित्त अधिकारी, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
- 3- प्राधिकरण तहसीलदार, हरिद्वार।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
- 5- अधिशासी अभियन्ता/समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/मानचित्रकार/सर्वेयर।
- 6- प्रशासनिक अधिकारी/समस्त वाद सहायक।
- 7- आई0टी0अनुभाग/गार्ड फाईल।

प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07.09.2021 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने-अपने अनुभाग से सम्बन्धित कार्यवृत्त में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।




सचिव

हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

ALL

प्रतिलिपि:

उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



सचिव

ALL